भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 3053
गुरुवार, 18 दिसंबर, 2025/27 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

हलवारा विमानपत्तन से उड़ानों की शुरुआत

3053. **श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंगः**
डॉ. अमर सिंहः
डॉ. राज कुमार चब्बेवालः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि लुधियाना के हलवारा विमानपत्तन से नागरिक उड़ान संचालन का उद्घाटन अवसंरचना कार्यों के पर्याप्त रूप से पूर्ण होने के बावजूद काफी समय से लंबित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) मंजूरी, एयरलाइन की भागीदारी, रनवे और टर्मिनल की तैयारी या भारतीय वायु सेना के साथ समन्वय से संबंधित मुद्दों सहित विमानपत्तन के संचालन में देरी के कारण क्या है;

(ग) क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के अंतर्गत परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है और वाणिज्यिक, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के प्रारंभ के लिए निर्धारित संशोधित समय-सीमा क्या है;

(घ) क्या किसी एयरलाइन ने हलवारा विमानपत्तन से संचालन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं या रुचि दिखाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा क्षेत्रीय संपर्क में सुधार करने और लुधियाना और आस-पास के जिलों के निवासियों और उद्योगों को हवाई यात्रा की सुविधा प्रदान करने के लिए विमानपत्तन के संचालन में तेजी लाने के लिए कौन-से कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (ङ): हलवारा हवाईअड्डा पंजाब राज्य सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच एक संयुक्त उद्यम के माध्यम से विकसित किया जा रहा है। हवाईअड्डे पर विकास कार्य पूरा हो गया है।

'उड़ान' 4.2 बोली प्रक्रिया के चरण के तहत, लुधियाना और हिंडन को जोड़ने वाले आरसीएस मार्ग का आरंभ मेसर्स फ्लाइबिग द्वारा किया गया था। मेसर्स फ्लाइबिग ने हलवारा (लुधियाना के बजाय) को जोड़ने वाले आरसीएस मार्गों के निरंतर परिचालन के लिए मेसर्स स्काईहॉप एविएशन प्राइवेट लिमिटेड को अपने आरसीएस अधिकारों और दायित्वों को सौंपा और उनका नवीकरण किया। मेसर्स स्काईहॉप वर्तमान में उड़ान प्रचालक प्रमाण-पत्र प्राप्त करने और विमान अधिग्रहण सहित विनियामक और प्रचालनात्मक अपेक्षाओं को पूरा कर रहा है। इन पूर्वापेक्षाओं को पूरा करने के पश्चात आरसीएस उड़ानों का परिचालन आरंभ करने की संभावना है।

मार्च 1994 में वायु निगम अधिनियम के निरस्त होने के साथ भारतीय घरेलू विमानन क्षेत्र को नियंत्रणमुक्त कर दिया गया है। एयरलाइनें अपने बेड़े में किसी भी प्रकार के विमान को शामिल करने और अपनी इच्छानुसार सेवा प्रदान करने व परिचालन करने हेतु किसी भी बाजार और नेटवर्क का चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

******